—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा —— प्रार्थी
2. श्री प्रेम कुमार आलड़िया ——अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 5
3. श्री चैन सिंह शेखावत ——अप्रार्थी संख्या 4
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा —— अप्रार्थी संख्या 7

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 29/4/26

अधिवक्ता प्रार्थीया श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि—यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि जहां तक प्रा. पत्र हाजा का सम्बंध है सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है।

यह कि अप्रार्थी स.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 पीडब्ल्यूएम के खाता सं. 73/12 के प.नं. 76/338 (14) किला नं. 1/1, 1/2, 2/3, 2/4, 3/3, 3/4, 4/3, 4/4, 6/3, 6/4, 7/3, 7/4, 8 थ्रू 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 20, 21/2, 2212, 23/2, 24/2, 25/3, 25/4 की 5.542

2/12/26

हैक. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के पुत्र राजू पुत्र गौरीशंकर का स्वर्गवास दिनांक 17.07.2023 को हो चुका है जिसके वारीस प्रार्थीगण है इनके अलावा अन्य कोई वारीस है। चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थनापत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो अप्रार्थी सं.1 को अपने पिता भागीरथ से प्राप्त हुई है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण के पति व पिता राजू पुत्र गौरीशंकर का स्वर्गवास हो चुका है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पति व पिता राजू का 1/5 हिस्सा मुताबिक वारीसान के बनता है। अप्रार्थी सं.1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण अपने पति व पिता राजू के 1/5 हिस्सा की कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है। प्रार्थीगण को प्राप्त होने वाली कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज न होने के कारण वदीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये प्रार्थीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 जो कि शराबी कवाबी व लालची किस्म का व्यक्ति है जो कि अन्य अप्रार्थीगण के नाजायज दबाब में है व इसी दबाब के चलते अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम वर्णित पैतृक कृषि भूमि को औने पौने दामों में किसी अन्य अजनबी व्यक्ति को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल करने की फिराक में है व प्रार्थीगण के अधिकारो के विपरीत कोई दस्तावेज पंजीयन करवाने की फिराक में है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि से महरूम हो जायेगे व प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितान्त मुशकिल होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का प्रार्थीगण के अधिकारो के विपरीत कोई दस्तोवज पंजीयन न करवाये व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं.1 तहसील पीलीबंगा के चक 3 पीडब्ल्यूएम के खाता सं. 73/12 के प.नं. 76/338 (14) सिस. 1/1, 1/2, 2/3, 2/4, 3/3, 3/4, 4/3, 4/4, 6/3, 6/4, 7/3, 7/4, 8 ज 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 20, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/3, 25/4 की 5.542 हैक्. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण के अधिकारो के विपरीत कोई दस्तोवज पंजीयन न करवाये व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। बाद तामिल नोटिस अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार आलड़िया हाजिर होकर वकालतनमा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से श्री चैन सिंह अधिवक्ता हाजिर होकर वकालतनमा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सं0 1

3

ता 5 के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 बंद किया जा चुका है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त वाद भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होना जाहिर किया। वाद भूमि को खुर्द – बुर्द करने पर अमादा है। यदि अप्रार्थी सं0 1 ता 5 ऐसा करने पर कामयाब होता है तो प्रार्थी को नापूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पावन्द किया जावें कि वे विवादित भूमि के रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखे।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजों का अवलोकन किया गया। भूमि मे अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश चाहा है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति होना प्रतित होता है। प्रार्थीगण ने वाद भूमि में अपने हकों की घोषिणा हेतु न्यायालय हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत किया है जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। प्रार्थी के हक हिस्सों का निर्धारण उक्त वाद में साक्ष्य सबूतों के लेखबद्ध होने के उपरातं ही होना है। यदि उक्त वाद भूमि को किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण खुर्द–बुर्द किया जाता है तो प्रार्थीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः वाद भूमि पैतृक संपति जाहिर होने के कारण एवं प्रार्थीगण नाबालिग है जिनके हितों की रक्षा नितांन्त आवश्यक है इस लिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष मे होने पर वाद में प्रार्थीगण के हक–हिस्सों के तय होने तक वाद भूमि के रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखना न्यायालय के अभिमत में न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचानुसार व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटी, स्वीकार योग्य हाने के कारण स्वीकार किया जाता है दिनांक 06.06.2024 को जारी अस्थाई निषेघाज्ञा ता दावा निस्तारण तक निरन्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनाकं 29/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा